



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129655

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 21881 वर्ष 2026

राहुल

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के लिए अधिवक्ता	:	अनिल कुमार, मुकेश जोशी
प्रतिपक्षी(गण) के लिए अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 182 वर्ष 2024, अंतर्गत धारा 137(2), 87, 64(1) भारतीय न्याय संहिता, धारा 5जे(2)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम और धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अधिनियम, पुलिस स्टेशन-कदौरा, जिला- जालौन में विचारण की लंबितता के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक 12.03.2025 से जेल में है। आवेदक ने पीड़िता का अपहरण कभी नहीं किया है और न ही उसके साथ बलात्कार किया है। पीड़िता को विचारण न्यायालय के समक्ष पीडब्लू-2 के रूप में परीक्षित किया गया था और अपने प्रति-विचारण में उसने अभियोजन पक्ष के अभिकथन का खंडन किया है। आवेदक का यह भी कहना है कि उसने अपने मुख्य-विचारण और विवेचना के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दौरान दिए गए अभिकथन में भी दावा किया है कि उसने आवेदक से विवाह कर लिया था और वह उसकी पत्नी बनकर उसके साथ रह रही थी। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक और पीड़िता जातिगत भेदभाव के शिकार हुए हैं और आवेदक के विरुद्ध यह मामला झूठा दर्ज किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत हेतु प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क दिया है कि पीड़िता नाबालिग है और नाबालिग की सहमति का कोई महत्व नहीं है। हालांकि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता आवेदक के किसी भी आपराधिक पूर्ववृत्त को नहीं बता सके।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया है कि सूचनाकर्ता को 23.06.2026 को नोटिस तामील कराया गया था। हालांकि, आज जब मामले की पुकार कराई गई, तो कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

7. अभिलेख के परिशीलन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि पीड़िता और अभियुक्त के बीच प्रेम संबंध था। विचारण न्यायालय के समक्ष दर्ज अपने अभिकथन में भी पीड़िता ने दावा किया है कि उसने अभियुक्त से मंदिर में विवाह रचाया था। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रति-विचारण के दौरान पीड़िता ने दावा किया कि घटना के समय उसकी उम्र लगभग 18 वर्ष थी। उसने अभियुक्त से विवाह करने को अस्वीकार किया है और दावा किया है कि उसने अपने माता-पिता और पुलिस कर्मियों के निर्देश पर न्यायालय में अभिकथन दिया था। उसने यह भी कहा कि अभियुक्त ने उसके साथ बलात्कार नहीं किया था।

8. आवेदक के जेल में रहते हुए एक बार जब विचारण न्यायालय के समक्ष पीड़िता का अभिकथन दर्ज कर लिया गया है, तो वहां आवेदक द्वारा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने या साक्षियों को डराने-धमकाने की कोई संभावना नहीं है। वैसे भी, पीड़िता ने प्रति-विचारण के दौरान अपने मुख्य-विचारण से मुकरती हुई प्रतीत होती है। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है और वह पिछले एक वर्ष से अधिक समय से जेल में है।

9. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रथम दृष्टया जमानत का मामला बनता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

11. उपर्युक्त मामले अपराध में संलिप्त आवेदक - **राहुल** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप उसके व्यक्तिगत बंधपत्र और दो विश्वसनीय जमानती, प्रत्येक समान राशि के प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

- i. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
- iii. आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं और विचारण में सहयोग करेगा।
- iv. आवेदक को विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होना होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

12. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, विचारण न्यायालय को उसकी/उसका जमानत रद्द करने की स्वतंत्रता होगी।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, साथ ही इस वचनबंध के साथ कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

14. इसके अलावा यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

15. ऊपर किए गए संप्रेक्षण केवल इस जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए हैं और इन्हें मामले के गुणदोष पर राय के रूप में अर्थान्वित नहीं किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

30 जून, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कुशल

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।